

बेल नं० आर०- 5662/2022

आदेश

15-09-2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त फिरासत की ओर से मु०अ० संख्या 741/2016 अन्तर्गत धारा-279,304 ए,427 भा०दं०सं० थाना अलापुर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त आज आत्म समर्पण करके न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित आरोप जमानतीय है। अभियुक्त न्यायोचित जमानत संस्थित करने को तैयार हैं। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त द्वारा अंकन बीस हजार रुपये का पी०बी० व इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर यदि किसी अन्य मामले में बांछित न हो तो जमानत पर रिहा किया जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बदायूँ।